न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code — UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 412/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 1055/2026
(CNR No: UPGZ010024942026)
1. गौरव पुत्र स्व० रविन्द्र
2. विशाल पुत्र स्व० रविन्द्र
3. राहुल पुत्र लोकेश कुमार
4. लोकेश कुमार पुत्र प्रीतपाल
निवासीगण मकान नम्बर 2 वार्ड नम्बर–5 बागराणप न्यू विकास नगर लोनी, थाना लोनी गाजियाबाद।

...................आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–463/2022
धारा– 452, 323, 504, 506 भा०द०सं०
थाना – लोनी बोर्डर, जिला गाजियाबाद।

....

17.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण गौरव, विशाल, राहुल, लोकेश कुमार की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उनका कोई प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती तुलसी ने दिनांक 09.07.2022 को थाना लोनी बोर्डर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादिनी का पति गौरव दिनांक 06.07.2022 समय शाम 6 बजे के करीब आया और गन्दी गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर चला गया। उस समय वादिनी अपनी माता के घर में ही थी और गौरव बोला आज उसके पापा और भाईयों को ऐसा सबक सिखाएगा कि जीवन भर याद रखेगें। तब से वादिनी किसी अनहोनी घटना न घट जाये, इस कारण भयभीत थी। ये लोग दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति के है और आये दिन न्यू विकास नगर में झगडा व मारपीट करते रहते हैं, जब उसके पापा व भाई रात में काम से लौटे तब गौरव गली में तमंचा लेकर घूम रहा था। मौका पाकर उसने अपने रिश्तेदारों लोकेश, राहुल, विशाल के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर गाली गलौंज व मारपीट करने लगा, किसी तरह वादिनी ने भाग कर चौकी संगम विहार में घटना की सूचना दी। इस झगडे में उसके भाई दीपक, जितेन्द्र को गम्भीर चोटे आयी हैं। उसकी माता जी कुसुम को मुंह पर काफी चोटें आयी, एक दांत हिल गया। वादिनी व उसके परिवार को गौरव व उसके रिश्तेदारों से जान का खतरा बना हुआ है।

4. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथ पत्र में यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया हैं और न ही किसी के साथ को मारपीट की है। पक्षकारों की ओर से आपसी समझौतानामा दाखिल कर कहा गया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ आपसी मतभेद होने के कारण थाने में एक तहरीर दी थी और अब आपसी मतभेद को खत्म करके प्रथम पक्ष अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। अ[illegible] का[illegible] कार्यवाही

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.18 11:04:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं चाहती है। वादिनी की ओर से शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी व उसके परिजनों के साथ गाली गलौंज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा मारपीट करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त गौरव वादिनी का पति है। विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। पक्षकारों की ओर से आपसी समझौतानामा दाखिल कर कहा गया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ आपसी मतभेद होने के कारण थाने में एक तहरीर दी थी और अब आपसी मतभेद को खत्म करके प्रथम पक्ष अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण गौरव, विशाल, राहुल एवं लोकेश कुमार का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप अविलम्ब अथवा अधिकतम अन्दर 07 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदक/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग प्रदान करेगें तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगें।

(ii) आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगें।

(iv) आवेदक/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगें, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया है।

(v) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडात्मक कार्यवाहियों का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्तगण को तभी रिहा किया जायेगा जब उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) पक्षकारों की ओर से दाखिल समझौतानामा असल रूपमें अवर न्यायालय को प्रेषित किया जाए तथा अवर न्यायालय से अपेक्षित है कि उक्त समझौतेनामें के आलोक में उक्त मामले का यथोचित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पक्षकार दिनांक 19.03.2026 को सम्बन्धित अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 17.03.2026